पीपीआई के उपयोग की निबंधन और शर्तें : (पीपीआई में इटज् कैश कार्ड लिमिटेड द्वारा जारी सभी वास्तविक तथा वर्चुअल प्रारूप में जारी सभी आंशिक रूप से बंद लिखत शामिल हैं)

1. यह प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों, भारत में प्री–पेड भुगतान लिखतों को जारी करने तथा उनके प्रचालन निदेश, 2009 (''भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश'') द्वारा शासित है साथ ही शोधन, पुनर्भुगतान, उपयोग आदि के संबंध में समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों के अंतर्गत है तथा इट्ज कैश कार्ड लिमिटेड (इट्ज कैश) का ऐसी किन्ही परिस्थितियों में पीपीआई धारक के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

2. पीपीआई को 18 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए।

3. पीपीआई को यूटीलिटी बिलों तथा अनिवार्य सेवाओं का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। गैर–यूटीलिटी बिलों तथा गैर–अनिवार्य सेवाओं के मामले में पीपीआई का उपयोग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी यथा निर्धारित केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन किया जाएगा। यूटीलिटी बिलों तथा अनिवार्य सेवाओं का भुगतान करने के लिए प्री–पेड कार्ड की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए होगी तथा अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज जमा करने पर कार्ड पर अतिरिक्त सेवाओं के मामले में यह सीमा 1,00,000 रुपए होगी।

4. इट्ज कैश आपके द्वारा जमा किए गए केवाईसी का व्यापारिक प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकता है। आप एतद्द्वारा (i) ई–न्यूज लैटर तथा अन्य पत्राचार प्राप्त करने के लिए सहमत हैं, जिनमें पेशकश आदि की गई हों तथा (ii) इट्ज कैश आपकी जानकारी प्रायोजक(कों) और अथवा इससे जुड़ी कंपनियों को उपलब्ध करायेगा ताकि आपको पेशकश और/अथवा जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके।

5. आप एतद्द्वारा पीपीआई को विहित मर्चेन्टस् के साथ उनकी वेबसाइट पर यथा उल्लिखित सभी उत्पादों / सेवाओं हेतु उपयोग के लिए सहमत हैं तथा आगे इसे किसी भी गैर–कानूनी प्रयोजन / क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं करने हेतु सहमत हैं। आप पीपीआई को उपयोग कर, किसी भी गैर–कानूनी / आपराधिक/धन शोधन/ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देंगे न ही इस प्रकार की गतिविधियों का भाग बनेंगे।

6. इट्ज कैश, पीपीआई से जुड़ी किसी भी धोखेबाजी अथवा उसके दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा आप पीपीआई से इस प्रकार जुड़ी किसी भी धोखेबाजी अथवा उसके दुरुपयोग के लिए किसी तथा सभी लागतों, करों, हर प्रकार के प्रभारों, दावों अथवा देनदारियों को व्यक्तिगत रूप से वहन करने के लिए सहमत हैं।

7. आप एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि आपका नाम कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर परिचालित आतंकवादी व्यक्तियों/संगठन (अलकायदा अथवा तालिबान) की समेकित सूची में नहीं रहा है।

8. इट्ज कैश पीपीआई का उपयोग कर क्रय किए गए / प्राप्त किए गए उत्पाद / मर्केन्डाईडज् / वस्तुएं अथवा सेवाओं में किसी प्रकार की खराबी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। पीपीआई का उपयोग कर, विक्रेता की वेबसाइट से क्रय किए गए /प्राप्त किए गए उत्पाद/ मर्केन्डाईडज्/वस्तुओं अथवा सेवाओं के संबंध में कोई विवाद अथवा किसी प्रकार के दावे का समाधान विनिर्दिष्ट विक्रेता से करना होगा। इट्ज कैश किसी भी परिस्थिति में पीपीआई धारक के प्रति किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता है।

9. इट्ज कैश विनिर्दिष्ट विक्रेता से वस्तुओं का क्रय करने पर आपसे पीपीआई के उपयोग हेतु भुगतान गेटवे सेवा शुल्क प्रभारित कर सकता है। लेन–देन करते समय अथवा समय–समय पर यथा लागू वेबसाइट पर सूचीबद्ध उक्त शुल्क को भुगतान गेटवे पेज पर दर्शाया जाएगा।

10. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुरूप, यदि कोई हों तों, पीपीआई पर किसी भी शोधन (रिडंशन) अथवा नकदी आहरण की अनुमति नहीं है।

11. यह पीपीआई द्वारा इसे सक्रिय किए जाने की तिथि अथवा प्रथम उपयोग इनमें से जो भी बाद में हो, से चार वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। समाप्ति की तिथि के पश्चात् उपयोग नहीं की गई शेष बची कोई भी राशि भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुरूप जब्त कर ली जाएगी।

12. इस पीपीआई की सम्पत्ति इट्ज कैश की है। यदि किसी व्यक्ति को यह पाए तो इसेः इट्ज कैश कार्ड लिमिटेड, टॉप चौदहवां तल, टाइम्स टावर, कमला सिटी, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 को वापस लौटा दिया जाए।

13 यदि पीपीआई खो जाता है तो आप तुरंत लिखित में इसकी सूचना इट्ज कैश को (पत्र/ ई–मेल) द्वारा देंगे। तत्पश्चात्, पीपीआई को ब्लॉक कर दिया जाएगा और इट्ज कैश इस संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुरूप इसके द्वारा समय–समय पर विहित किए गए नाममात्र शुल्क पर, शेष राशि के साथ नया पीपीआई जारी कर सकता है।

14 पीपीआई की किसी प्रकार की नकल किए जाने पर उसे रद्द कर दिया जाएगा।

15 विदेशी मुद्रा में लेन–देन करने के लिए पीपीआई का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पीपीआई को भारतीय कानूनों द्वारा शासित केवल ऑनलाइन/ऑन मोबाइल / आईवीआरएस लेन–देन हेतु विक्रेता के साथ उपयोग किया जा सकता है।

16 एक बार पीपीआई का उपयोग कर किए गए किसी भी लेन–देन को वापस नहीं किया जा सकता है।

17 पीपीआई हस्तांतरणीय नहीं है।

18 इट्ज कैश किसी भी समय बेवसाइट/मोबाइल एप्लीकेशन/विनिर्दिष्ट विक्रेताओं के आईवीआरएस पर बिना कोई कारण दिए पीपीआई के उपयोग से इंकार करने अधिकार सुरक्षित रखता है।

19 आप अपने नाम, पते, ई–मेल के पते अथवा पीपीआई को जारी करने के लिए उपलब्ध कराए गए किसी अन्य अपेक्षित डेटा में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर इट्ज कैश को तुरंत सूचित करेंगे तथा ऐसे किसी परिवर्तन के संबंध में इट्ज कैश द्वारा मांगे जाने पर नया केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे।

20. किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान करने के लिए इट्ज कैश ने एक ''उपभोक्ता शिकायत निवारण नीति'' तैयार की है, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इस पीपीआई का उपयोग कर किसी लेन–देन के फलस्वरूप पैदा हुए सभी विवादों का समाधान इस नीति के माध्यम से किया जाएगा। आगे इस संबंध किसी भी मुकद्दमेबाजी के लिए मुबंई स्थित न्यायालयों का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होगा।

21 पीपीआई का उपयोग कर किए गए सभी लेन–देन भारतीय लागू कानूनों के अधीन होंगे।

22 इट्ज कैश, ग्राहकों को किसी प्रकार का पूर्व नोटिस/जानकारी दिए बिना इन निबंधन और शर्तों में संशोधन करने, फेर–बदल करने, लोप करने, नई शर्त को शामिल करने तथा उन्हें संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।